



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

05 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 238 राँची, शुक्रवार,

26 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 मार्च, 2021

संख्या- 5/आरोप-1-77/2015 का०-1785-- श्री उदय कान्त पाठक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला- खगड़िया), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मेदिनीनगर के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा0, दिनांक 16.11.2015 के माध्यम उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-853/ स्था0, दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

आरोप संख्या-1- कठौतिया कोल माईन्स के अंतर्गत 82.76 एकड़ भूमि जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे0 उषा मार्टिन प्रा0लि0 को कोयला उत्खन्न के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध था।

आरोप संख्या-2- अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN लिखा पाया गया है। खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही था। खेसरा पंजी एवं चेक स्लीप के अवलोकन से पता चलता है कि जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है।

आरोप संख्या-3- श्री एन0के0 मिश्रा, तत्कालीन आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के पत्रांक-10, दिनांक 29.01.2015 के द्वारा भी कठौतिया कोल माईन्स में आपके विरुद्ध बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT ACT धारा-49 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप संख्या-4- यह कि खतियानों की जाँच किए बिना जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि मानकर खनन कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10427, दिनांक 09.12.2015 द्वारा श्री पाठक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री पाठक के पत्र, दिनांक 18.11.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री पाठक के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11071, दिनांक 27.12.2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-568/स्था0, दिनांक 13.07.2017 द्वारा श्री पाठक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया।

श्री पाठक के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9898, दिनांक 18.09.2017 द्वारा श्री पाठक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-113, दिनांक 22.05.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाठक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-2 एवं आरोप सं0-4 को सही प्रतिवेदित किया गया।

श्री पाठक के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री पाठक के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से 15% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3780, दिनांक 30.07.2020 एवं पत्रांक-5370, दिनांक 22.10.2020 द्वारा श्री पाठक से कारण पृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री पाठक के पत्र, दिनांक 17.11.2020 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

(i) यह सत्य है कि अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, जिला-पलामू के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मेदिनीनगर के पत्रांक-485/रा0, दिनांक 22.09.2010 के अनुपालन के क्रम में कुल 6 (छः) अभिलेखों को विधिवत् संधारित कर कठौतिया कोल माईन्स (उषा मार्टिन लि0 कंपनी) हेतु भू-हस्तांतरणीय प्रस्ताव (सरकारी भूमि गैर मजरूआ मालिक) का आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया था, जिसमें-(1) अभिलेख सं0-03/2010-11, मौजा-गाड़ीखास, थाना नं0-200, (2) अभिलेख सं0-04/2010-11, मौजा-कठौतिया, थाना नं0-201 तथा (3) अभिलेख सं0-05/2010-11, मौजा-कजरी, थाना नं0-202 में अंकित भूमि सत्यापन प्रतिवेदन पर जाँच दल तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा कतिपय आपत्तियाँ दर्ज कर आरोप का सत्य प्रतीत होने की पुष्टि किया गया है, जो पूर्णतः

गलत है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा संधारित अभिलेखों का खास कर अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा के आदेशफलक का अवलोकन नहीं किया गया, बल्कि जाँच दल के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर ही आरोपों को सत्य मानकर अपना मंतव्य दिया गया है, जो आपत्तिजनक है। जाँच दल का प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2015 को समर्पित है, जबकि सभी अभिलेख वर्ष 2010-11 का ही है। संधारित अभिलेखों की फोटो प्रति इनको अपर समाहर्ता, पलामू के पत्रांक-2093/रा0, दिनांक 11.11.2017 के द्वारा उपलब्ध करायी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। सभी अभिलेखों में अंकित है कि प्रस्तावित हस्तांतरणीय भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक भूमि दर्ज है, जो कठौतिया कोल माईन्स हेतु भू- हस्तांतरणीय हेतु प्रस्तावित है।

(ii) तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, जिला-पलामू के द्वारा संलग्न खतियान (पंजी-1) की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न कर भेजा गया था, जो बंदोबस्त कार्यालय, पलामू के द्वारा दिनांक 15.12.1988 की तिथि को प्रमाणित एवं सत्यापित है, जो आधार मानकर ही इनके द्वारा पुनः अभिप्रमाणित किया है। यदि कागजात जाली है तो इसके लिये अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा ही बता सकते हैं कि ये कागजात उन्हें कहां और किससे प्राप्त हुआ है? इनको किसी प्रकार का संदेह करने की संभावना नहीं थी। अतः इनके द्वारा अभिलेखों में वही टिप्पणी अंकित किया गया तथा अनुशंसा भी की गई थी, जो अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा के द्वारा अभिलेखों के आदेशफलक, चेक स्लीप तथा लीज हेतु प्रस्ताव पर अंकित प्रतिवेदन दिया गया है।

श्री पाठक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्री पाठक का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि उक्त अभिलेख अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा से अग्रसारित होते हुए उप समाहर्ता, भूमि सुधार (श्री पाठक) के समक्ष आया था तथा जो भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था उनका सम्यक जाँच करना तथा जांचोपरान्त सही प्रतिवेदन अग्रसारित करने की जिम्मेवारी वरीय पदाधिकारी की हैसियत से श्री पाठक की थी। जाँच टीम के द्वारा उक्त अभिलेखों में संलग्न खेसरा प्रपत्र जो क्रमशः मौजा-गाड़ीखास, कठौतिया तथा कजरी से संबंधित है, में प्रतिवेदित प्लॉटों की किस्म गैरमजरूआ भूमि के स्थान पर गैरमजरूआ (जंगल झाड़ी) पाया गया। जाँच टीम के द्वारा मौजा-गाड़ीखास के 09 प्लॉट, मौजा-कठौतिया के 31 प्लॉट तथा मौजा-कजरी के 18 प्लॉट गैरमजरूआ (जंगल झाड़ी) प्रतिवेदित किये गये, जबकि उक्त सभी प्लॉटों को श्री पाठक द्वारा गैरमजरूआ के रूप में सत्यापित करते हुए उच्च पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया। इस प्रकार श्री पाठक द्वारा कनीय स्तर से आये प्रतिवेदन को बिना सत्यापित किये ही अग्रसारित कर दिया गया।

(ii) खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति में प्रस्तावित प्लॉट के सामने भूमि के किस्म के कॉलम में TORN लिखा हुआ था। ऐसी स्थिति में श्री पाठक को खतियान की मूल प्रति देखे बिना ही सत्यापित प्रति की छायाप्रति को अभिप्रमाणित नहीं करना चाहिए था। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपने जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति में कतिपय प्लॉटों के सामने भूमि की किस्म के कॉलम में “परती कदीम” अंकित है। ग्राम-कठौतिया के प्लॉट सं0-587, 591, 641, 652, 654, 659, 670, 678, 702, 705, 712, 714, 715, 716 आदि, जो बाद में जाँच टीम द्वारा खतियान में जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज पाये गये के सामने TORN लिखा हुआ है। एक ही खतियान में कुछ भूमि का किस्म स्पष्ट रूप से अंकित हो गया

हो तथा कुछ भूमि के सामने अंकित किस्म फट गया हो यह थोड़ा संदेहास्पद एवं आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। यह बिल्कुल सही है कि खतियान की सत्यापित प्रति में TORN अंकित रहने के आधार पर यह स्थापित नहीं किया जा सकता है कि संबंधित भूमि गैर मजरूआ ही थी। खतियान में TORN अंकित रहने के कारण किसी दूसरे कार्यालय यथा-सर्वे कार्यालय आदि से खतियान की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् भूमि की किस्म की जाँच कर आरोपी को अनुशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन उनके द्वारा खतियान से भूमि की किस्म की जाँच किये बिना सत्यापित प्रति में TORN अंकित रहने के आधार पर आश्वस्त होकर अनुशंसा कर दी गई, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त आधार पर श्री पाठक का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

समीक्षोपरांत, श्री पाठक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 15% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-817, दिनांक 05.02.2021 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-582, दिनांक 05.03.2021 द्वारा श्री पाठक के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 15% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने पर सहमति प्रदान की गई है।

अतः श्री उदय कान्त पाठक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला-खगड़िया), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मेदिनीनगर के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 15% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उदय कान्त पाठक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विशाल सागर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
